



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263551
CG-DL-E-03062025-263551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2371]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2371]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2430(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार तमिलनाडु राज्य के थेनी जिले में NH-49 एक्सटेंशन के कि.मी. 93/4 (बोडी के पास) पर मौजूदा लेवल क्रॉसिंग नंबर 85 के बदले आरओबी का निर्माण के लिए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4692(अ) दिनांक 25.10.2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 25.10.2024 में प्रकाशित किया गया था, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की प्रमुख अधिसूचना संख्या का.आ. 1266 (अ) दिनांक 16.03.2018 में क्रमांक 1 के समक्ष: कालम 2 में, “रेवेनुए डिविशनल अफसर, उथमपलयम” के स्थान पर “विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, डिंडीगुल” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

फुट नोट: मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 1266 (अ) दिनांक 16.03.2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 21.03.2018 को प्रकाशित किया गया था तदुपरांत संशोधन राजपत्र संख्या का.आ. 5225 (अ) दिनांक 09.11.2022 और संशोधन राजपत्र संख्या का.आ. 4692 (अ) दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. RW-MD/TN/NH-49Extn/ROB/1/2015-16]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2430(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in notification of the government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 4692(E) dated 25.10.2024 for the work of Construction of ROB in lieu of existing level crossing No.85 at Km. 93/4 (near Bodi) of NH-49 Extn in the district of Theni in the state of TAMIL NADU published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (II), 25.10.2024 namely:-

In the schedule to the principal notification number S.O. 1266(E) dated 16.03.2018, against Serial No. 1 in column 2 for the entry “Revenue Divisional Officer, Uthamapalyam” the entry “Special District Revenue Officer, Land Acquisition, National Highways, Dindigul” shall be substituted.

Foot Note: The principal notification was published vide number S.O.1266(E) dated 16.03.2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub-section (ii), dated 21.03.2018, subsequent Amendments were published vide Gazette No. S.O. 5225 (E) dated 09.11.2022 & Gazette No. S.O. 4692(E) dated 25.10.2024.

[F. No. RW-MD/TN/NH-49Extn/ROB/1/2015-16]

SHAIKH AMINKHAN, Director